पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 एस0 एस0 बी0 मधुबनी– 12/13–1536/रा दि0– 19-06-13

# राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन शाखा)

अधिसूचना

संख्या–........./डी.एल.ए.मधुबनी/2012.........../भू–अर्जन दिनांक................

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गॉव – **हरने मौजा– हरलाखी (टोले–हरणे )** थाना न.– **04** थाना– **बेनीपट्टी**, अंचल– **हरलाखी** परगना– **भाला** जिला–**मधुबनी** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात **एस.एस.बी कैम्प, हरने** स्थापनार्थ के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव **हरने मौजा– हरलाखी (टोले–हरणे )** के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश रकवा– **01.75 एकड़** होता है। अर्जनाधीन भूमि की सूची निम्न प्रकार है – पूर्ण खेसरा नं0– 2920, 2923, 2924, 2869, अंश खेसरा नं.– 2884, 2878, 2877, 2885, 2897, 2919, 2921, 2922, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2874 2872, 2868।

**सीमा सूचीः–**

उत्तरः– खेसरा नं0– 2919, 2897, 2885, एवं 2884

दक्षिणः– खेसरा न.– 2868, 2873, 2874, 2897, 2929, 2928, एवं 2827

पूरब :– सड़क

पश्चिम :– खेसरा नं0– 2918, 2921, 2922, 2925, 2926, एवं 2965

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1984 की धारा 4 के उपबंधो के अधिन (जैसा कि बिहार अधिनियम–11, 1961 द्वारा संशोधित हुआ है।) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका उससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ,मधुबनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी एंव अधियाची विभाग को भूमि पर आने जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य को समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।
यह अधिनियम की धारा– 17–(4) प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की भीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबंध लागू नहीं होंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी | अपर समाहर्त्ता मधुबनी | समाहर्त्ता मधुबनी | सरकार के सचिव

ज्ञापांक–1536/रा भू–अर्जन, पटना, दिनांक 19-06-13

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एंव जन–सम्पर्क निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सिडी सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमे एक स्थानिय भाषा में हो एंव कतरण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ,मधुबनी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।
प्रतिलिपिः– प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, मधुबनी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधोहसताक्षरी को 5 प्रति प्रकाशित गजट की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।
प्रतिलिपिः– समाहर्ता, मधुबनी/ अपर समाहर्ता, मधुबनी/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपिः–कमांडेन्ट एस.एस.बी. जयनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव